रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 376] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 8, 1973/कार्तिक 17, 1895
No. 376] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 8, 1973/KARTIKA 17, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November 1973

S.O. 680(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Konkan Passenger Ships (Acquisition) Ordinance, 1973 (4 of 1973), the Central Government hereby specifies the Mogul Line Ltd., a Government company having its registered office in the State of Maharashtra, as the person to which a person having in his possession, custody or control any books, documents or other papers relating to the Konkan passenger ships shall be liable to account for the said books, documents or other papers.

[No. 40-MD(16)/73]

G. C. BAVEJA, Jt. Secy.

नौवहन और परिवाहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1973

सा०आ० 680 (अ).—कोनकन यात्री पोत (अधिग्रहण) अध्यादेश, 1973 (1973 का 4) की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा में मुगल लाइन लि०, जोकि, एक सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में है, को एक ऐसी संस्था के रूप में निर्दिष्ट करती है जिसके प्रति वह व्यक्ति उन कोनकन यात्री पोतों से संबंधित पुस्तकों, दस्तावेजों, या अन्य कागजात के लिये उत्तरदायी होगा जिसके पास उनमें से कोई पुस्तक, दस्तावेज या अन्य कागजात हों ।

[सं० 40-एम० डी० (16)/73]

जी० सी० बवेजा, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973